

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

राजस्व केम्प कोर्ट ग्रां.पं. मोहब्बतपुरा

पीठासीन अधिकारी:- सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 55/2017

1. कल्याण पुत्र विजयलाल, जाति जाट, निवासी मदनपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी



दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक :-19.06.2017

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खतौनी सं० 9 के आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 139 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 140 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 141 रकबा 6 बीघा, 143 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 146 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा व खतौनी संख्या 13 के खसरा नम्बर 190 रकबा 8 बिस्वा, 191 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 9 बिस्वा, 203 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 252 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 254 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 283/452 रकबा 11 बिस्वा, 433 रकबा 15 बिस्वा, 434 रकबा 9 बिस्वा, 435 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा,


उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

436 रकबा 13 बिस्वा, 437 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 438 रकबा 4 बिस्वा, 439 रकबा 5 बिस्वा, 440 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 442 रकबा 19 बिस्वा, 443 रकबा 17 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 1 बीघा, 446 रकबा 1 बीघा, 447 रकबा 7 बिस्वा गैरमुमकिन चाह कुल किता 23 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, उक्त आराजी वरवक्त विजयलाल के देहान्त के पश्चात् वादी एवं वादी के भाईयों के विरासत का नामान्तकरण खुला उस समय वादी नाबालिग था एवं वादी को गांव में बचपन में किलाण नाम से पुकारने से उक्त विरासत व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल की जगह किलाण पुत्र बीज्या दर्ज हो गया उक्त राजस्व रिकार्ड में किलाण पुत्र बीज्या के स्थान पर कल्याण पुत्र विजयलाल किया जाना न्यायोचित है। किलाण पुत्र बीज्या एवं कल्याण पुत्र बीज्या व कल्याण पुत्र विजयलाल, जाति जाट, ग्राम मदनपुरा, तह. फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। बल्कि वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य आराजी की जमाबंदी से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल सही है इसलिये वादी व वादी के पिता का नाम किलाण पुत्र बीज्या एवं कल्याण पुत्र बीज्या की जगह कल्याण पुत्र विजयलाल राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर



(Handwritten signature)
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

समतल व उपजाउ बना लिया है उक्त आराजयात के वादी रिकार्डेड खातेदार काशतकार है। एवं शान्ति पूर्वक काबिज काशत चला आ रहा है लेकिन राजकिय कर्मचारीयो के सहवन से एवं वादी के अनपढ़ व काशतकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नही हुयी एवं वादी को किलाण व कल्याण के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनो ही नामो से उक्त आराजी में नाम भी अलग-अलग हो गये जबकि वादी व वादी के पिता का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल सही है उक्त रिकार्ड में कल्याण पुत्र विजयलाल की जगह किलाण पुत्र बीज्या व कल्याण पुत्र बीज्या हो गया जो गलत है जबकि वादी व वादी के पिता का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम किलाण पुत्र बीज्या के स्थान पर कल्याण पुत्र विजयलाल करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 19.05.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में किलाण पुत्र बीज्या है जबकि सही नाम कल्याण पुत्र विजयलाल है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 19.05.2017 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 1 को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। वादी का वाद बाबत् घोषणा 1/रू0 व स्थाई निषेधाज्ञा 1/रू0 व 1/रू0 दुरस्ती इन्द्राज कुल 3/रू0 कोर्ट फीस स्टाम्प पर प्रस्तुत है। जो रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त है। पक्षकारान का निवास व



(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
फार्मी (जयपुर)

विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। वादी/प्रार्थी है कि :- वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र के मद नं० 1 में वर्णित अनुसार आराजी में वादी दर्ज राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में किलाण पुत्र बीज्या व कल्याण पुत्र बीज्या के स्थान पर कल्याण पुत्र विजयलाल दुरुस्त किया जाकर पालना बाबत् तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावें। प्रतिवादी सं० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी की आराजीयात् में किसी प्रकार से उपयोग-उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करें, न ही अन्य किसी हाली-सीरी ऐजेन्ट-सर्वेण्ट से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं० 1 से दिलाया जावे। दीगर अनुतोष जो मुफीद वादी को अता फरमाया जावे ।



दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर मान्य न्यायालय में जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने जवाब दावा में वादी के नाम उक्त आराजी होना एवं उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होना बताया है वादी किलाण पुत्र विजयलाल एवं कल्याण पुत्र विजयलाल एक ही व्यक्ति है इस व्यक्ति के नाम के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मदनपुरा में नहीं है। वादी के विरासत के नामान्तकरण में नाम बचपन में किलाण पुत्र बीज्या गलत हो गया है वादी खातेदार किलाण पुत्र बीज्या के स्थान पर कल्याण पुत्र विजयलाल दुरुस्त करवाना चाहता है।


उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं वादी ने दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी संख्या 9, 13 मतदाता

पहचान पत्र, ग्रामपंचायत का प्रमाण पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मदनपुरा के खसरा नम्बर 125 रकबा रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 139 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 140 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 141 रकबा 6 बीघा, 143 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 146 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल कित्ता 7 कुल रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा व खतौनी संख्या 13 के खसरा नम्बर 190 रकबा 8 बिस्वा, 191 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 9 बिस्वा, 203 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 252 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 254 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 283/452 रकबा 11 बिस्वा, 433 रकबा 15 बिस्वा, 434 रकबा 9 बिस्वा, 435 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 436 रकबा 13 बिस्वा, 437 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 438 रकबा 4 बिस्वा, 439 रकबा 5 बिस्वा, 440 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 442 रकबा 19 बिस्वा, 443 रकबा 17 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 1 बीघा, 446 रकबा 1 बीघा, 447 रकबा 7 बिस्वा गैरमुमकिन चाह कुल कित्ता 23 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादी के अनपढ़, नाबालिग एवं जानकारी नही होने से सहवन से विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल की जगह किलाण पुत्र बीज्या गलत दर्ज हो गया। उक्त आराजीयात पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण वादी के पक्ष में खुल गया है उक्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार



(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

काश्तकार है। वादी का नाम किलाण पुत्र बीज्या गलत दर्ज हो गया तहसीलदार फागी की रिपोर्ट में भी नाम गलत होना स्वीकार किया है वादी ने रिकार्ड पेश किए हैं ग्राम मदनपुरा की अन्य आराजी में वादी का सही नाम कल्याण पुत्र विजयलाल दर्ज है मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी कल्याण पुत्र विजयलाल सही नाम अंकित है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र में भी कल्याण पुत्र विजयलाल अंकित है।

वाद पत्र, जवाब दावा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अंकित किया है उक्त वाद पत्र में अंकित आराजी ग्राम मदनपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है उक्त आराजीयात वादी के नाबालिग व अनपढ़ एवं जानकारी नहीं होने से सहवन से विरासत के नामांतरण के समय वादी का नाम कल्याण पुत्र विजयलाल की जगह किलाण पुत्र बीज्या गलत दर्ज हो गया। उक्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम किलाण पुत्र बीज्या गलत दर्ज हो गया तहसीलदार फागी की रिपोर्ट में भी नाम गलत होना स्वीकार किया है वादी ने रिकार्ड पेश किए हैं ग्राम मदनपुरा की अन्य आराजी में वादी का सही नाम कल्याण पुत्र विजयलाल दर्ज है मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड में भी कल्याण पुत्र विजयलाल सही नाम अंकित है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र में भी कल्याण पुत्र विजयलाल अंकित है। उपरोक्त के आलोक में लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।





उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खतौनी सं० 9 के आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 139 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 140 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 141 रकबा 6 बीघा, 143 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 146 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा व खतौनी संख्या 13 के खसरा नम्बर 190 रकबा 8 बिस्वा, 191 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 9 बिस्वा, 203 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 252 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 254 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 283/452 रकबा 11 बिस्वा, 433 रकबा 15 बिस्वा, 434 रकबा 9 बिस्वा, 435 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 436 रकबा 13 बिस्वा, 437 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 438 रकबा 4 बिस्वा, 439 रकबा 5 बिस्वा, 440 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 442 रकबा 19 बिस्वा, 443 रकबा 17 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 1 बीघा, 446 रकबा 1 बीघा, 447 रकबा 7 बिस्वा गैरमुमकिन चाह कुल किता 23 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किलाण पुत्र बीज्या की जगह कल्याण पुत्र विजयलाल दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा.

पं. मोहब्बतपुरा में सरे आम सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी (जयपुर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी, जिला जयपुर।
राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा.पं. मोहब्बतपुरा

इजलास:- सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

1. कल्याण पुत्र विजयलाल, जाति जाट, निवासी

मदनपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर


बनाम

तहसीलदार

मुकदमा नं. 55/2017



यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी श्री सीताराम सैनी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू सरकारी पैरोकार प्रतिवादी मिन जानिब मुददयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खतौनी सं० 9 के आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 139 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 140 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 141 रकबा 6 बीघा, 143 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 146 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा व खतौनी संख्या 13 के खसरा नम्बर 190 रकबा 8 बिस्वा, 191 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 9 बिस्वा, 203 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 252 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 254 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 283/452 रकबा 11 बिस्वा, 433 रकबा 15 बिस्वा, 434 रकबा 9 बिस्वा, 435 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 436 रकबा 13 बिस्वा, 437 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 438 रकबा 4 बिस्वा, 439 रकबा 5 बिस्वा, 440 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 442 रकबा 19 बिस्वा, 443 रकबा 17 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 1 बीघा, 446 रकबा 1 बीघा, 447 रकबा 7 बिस्वा गैरमुमकिन चाह कुल किता 23 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मदनपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में


उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

स्थित है। जिसमे वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किलाण पुत्र बीज्या की जगह कल्याण पुत्र विजयलाल दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना
 आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।
 बसव्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2017 को जारी की गई।



दस्तखत.....
 ओहदा..... उपखण्ड अधिकारी
 फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुददयलह	रूपये	पैस
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प वकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
 फागी (जयपुर)
 फागी (जयपुर)